न्यायालय – नेहा प्रधान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बदनावर, जिला धार (म.प्र.)

(निर्णय दिनांक – 06.11.2024)

RCT No. 1160/2022
Filing No. 1917/2022
CNR No. MP11050023272022
Registration Date - 12-10-2022

(प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

अभियोगी	म.प्र. राज्य द्वारा प्रभारी अधिकारी आरक्षी केन्द बदनावर, जिला धार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री नवीन बेतव, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी, बदनावर
अभियुक्त	प्रहलादसिंह पिता धुलजी मोग्या, उम्र लगभग 57 वर्ष, निवासी ग्राम धमाना, थाना बदनावर, जिला धार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राजनसिंह देवड़ा अधिवक्ता।

अपराध की तिथि	02.10.2022
प्र.सू.रि. की तिथि	02.10.2022
अभियोग–पत्र की तिथि	12.10.2022
आरोपों के विरचना की तिथि	28.06.2024
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तिथि	16.10.2024
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	06.11.2024
निर्णय की तिथि	06.11.2024
दण्डादेश यदि कोई हो, तो तिथि	नहीं।

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	प्रहलाद सिंह	कुछ नहीं।	12.10.22	धारा 324 भा.द.सं. एवं 25 (1–बी)(बी) आयुध अधि.	दोष मुक्ति	कुछ नहीं।	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची कमांक

अभियोजन साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
अ.सा.1	भमर	फरियादी/आहत साक्षी।

अ.सा.2	बंशीलाल	जप्ती पंचनामा।
अ.सा.3	पी.एस. बोरा	विवेचक साक्षी।
अ.सा.4	धर्मेन्द्र	जप्ती पंचनामा।

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची क्रमांक अभियेाजन :–

स.क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्र.पी. 1 से 3	(अ.सा.1) प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा मौका व पुलिस कथन साक्षी।
2.	प्र.पी. 4	(अ.सा.2) जप्ती पंचनामा साक्षी।
3.	प्र.पी. 2, 4 व 5	(अ.सा.3) नक्शा मौका, जप्ती पंचनामा व धारा 41 (क) द.प्र.सं. का नोटिस साक्षी।
4.	प्र.पी. 4	(अ.सा.4) जप्ती पंचनामा साक्षी।

.....

आरक्षी केन्द्र बदनावर, तहसील बदनावर, जिला धार, म.प्र. के अपराध क्रमांक 720/2022 अंतर्गत धारा 294, 323, 324, 506 भाग–2 भा.द.सं. 1860 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25(1–बी)(बी) से उद्भूत प्रकरण।

.....

:: <u>निर्णय</u> ::

1– अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (जिसे अत्र पश्चात् ''भा.द.सं.''से सम्बोधित किया जायेगा) की धारा 324 भा.द.सं. एवं आयुध अधिनियम की धारा 25(1–बी)(बी) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 02.10.2022 को 12:00 से 12:10 बजे के मध्य स्थान ग्राम धमाना स्थित फरियादी आरोपी की घुमटी के पास, बदनावर लोक स्थान पर आहत् भमर के साथ काटने के धारदार उपकरण तलवार से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की तथा उसके आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार तलवार, जिसके उपर लोहे के पाईप का गोल हत्थ लगा हुआ, लोहे के पाईप के हत्थे संहित तलवार की लंबाई 23 इंच, हत्थे की लंबाई 4 इंच, फल की लंबाई 19 इंच, फल की चौड़ाई ½ रखी धारा 4 आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत जारी मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6312–6552 (2)बी(1) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में रखने का आरोप है।

2– प्रकरण में कोई स्वीकृत तथ्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होने से अभियुक्त को धारा 294 व 506 भाग–2 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया गया एवं इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त का विचारण मात्र भा.द.सं. की धारा 324 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25(1–बी)(बी) के सम्बन्ध में किया गया।

3– अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी भमर ने आरक्षी केन्द्र बदनावर पर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके गांव के

प्रहलाद सिंह ने उसकी बहन गीताबाई को गाली–गलौच की थी तो दिनांक 02.10.2022 को करीबन 12:00 बजे उसने प्रहलाद सिंह को बोला कि उसने उसकी बहन को गालियां क्यों दी थी, इसी बात पर प्रहलाद उसे मां–बहन की गालियां देने लगा उसने प्रहलाद को गालियां देने से मना किया तो वह उसकी घुमटी के अन्दर से तलवार निकाल कर आया और उसे सिर पर मारा जिससे उसे सिर पर बाई तरफ चोंट लगी व खून निकलने लगा। प्रहलाद उसे कहने लगा कि आज तो तू बच गया है आईन्दा आया तो तूझे जान से मार दूंगा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 720/2022 अंतर्गत धारा 294, 323, 324, 506 भाग–2 भा.द.सं. तथा आयुध अधिनियम की धारा 25(1–बी)(बी) में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और अनुसंधान पश्चात अपराध सिद्ध पाया जाने से अभियोग–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4– अभियुक्त पर उक्त धाराओं का आरोप आरोपित किये जाने पर अभियुक्त ने आरोप करना अस्वीकार किया। अभियोजन साक्षियों के कथनों के आधार पर अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. के तहत किया गया। अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होने का कथन करते हुये बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की।

5– प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत् भमर के साथ काटने के धारदार उपकरण तलवार से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की?
2. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर उसके आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार तलवार, जिसके उपर लोहे के पाईप का गोल हत्थ लगा हुआ, लोहे के पाईप के हत्थे संहित तलवार की लंबाई 23 इंच, हत्थे की लंबाई 4 इंच, फल की लंबाई 19 इंच, फल की चौड़ाई ½ रखी धारा 4 आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत जारी मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6312–6552 (2)बी(1) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में रखने का आरोप है?

:: <u>सकारण विवेचना</u> ::

6– उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्न पारस्परिक रूप से एक–दूसरे से सम्बन्धित होने से तथा साक्ष्य का दौहराव निवारित करने के उद्देश्य से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा फरियादी/आहत साक्षी भमर (अ.सा.1), बंशीलाल (अ.सा.2), विवेचक पी.एस. बोरा (अ.सा.3) एवं धर्मेन्द्र (अ.सा.4) को परीक्षित कराया गया है।

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का विवेचन</u> :–

7– प्रकरण के फरियादी/आहत भमर (अ.सा.1) ने न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान व्यक्त किया कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना करीब 2 साल पुरानी है।

अभियुक्त से मामूली बात पर से विवाद हो गया था, जिसकी रिपोर्ट थाने पर की थी, जो प्र.पी. 1 है। पुलिस घटना स्थल पर आई थी, नक्शा मौका बनाया था, जो प्र.पी. 2 है। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया जाकर सुचक प्रश्न पुछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि अभियुक्त प्रहलाद के हाथ में तलवार थी। उसने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि अभियुक्त ने उसके साथ में तलवार से मारपीट की थी। उसने उक्ताशय की रिपोर्ट एवं बयान पुलिस को दिये जाने से भी इंकार किया है। उक्त साक्षी पूर्णतः पक्षद्रोही रहा हैं, उससे अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

8— यह कि इसके अतिरिक्त आरोपी द्वारा आहत की मेडिकल रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी है।

8— प्रकरण में अब यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्त से आक्षेपानुसार लोहे की तलवार जप्त हुई है अथवा नहीं। प्रकरण में जप्ती साक्षी बंशीलाल (अ.सा.2) व धर्मेन्द्र (अ.सा.4) पक्षद्रोही रहे हैं। उक्त साक्षीगण को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पुछे जाने पर उक्त साक्षीगण ने उनकी उपस्थिति में अभियुक्त से लोहे की धारदार तलवार जप्त किये जाने से इंकार किया है। उक्त साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

9— प्रकरण के विवेचक पी.एस. बोरा (अ.सा.3) दिनांक 02.10.2022 को थाना बदनावर पर सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उसे थाने से अपराध क्रं. 720/22 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसने फरियदी की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका प्र.पी. 2 बनाया था। उसके द्वारा भंवर, रामकुंवर, दुलेसिंह, सोहन के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसके द्व ारा प्रहलाद से एक तलवार जप्त की थी, जिसका जप्ती पंचनामा उसके द्वारा बनाया गया था, जो प्र.पी. 4 है। उसके द्वारा आरोपी को द.प्र.सं. की धारा 41 (क) नोटिस दिया था, जो प्र.पी. 5 है। साथ ही न्यायालय में मुद्देमाल को तलब कराए जाने पर आर्टिकल ए से चिन्हित किया गया है एवं उक्त साक्षी द्वारा उक्त आर्टिकल वही होना बताया जो कि आरोपी से जप्त किया जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी के कथन स्थिर रहे हैं।

10— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण किया जायें एवं आरोपी द्वारा आहत् को धारदार वस्तु से साधारण उपहति करने के संबंध में देखा जाये तो अभिलेख पर आई साक्ष्य से दर्शित है कि स्वयं फरियादी/आहत ने प्रकरण में दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी. 1 की अंतरवस्तु को खण्डित करते हुये अभियुक्त के विरूद्ध उसके द्वारा कोई धारदार वस्तु से मारपीट न किया जाना बातते हुये मात्र कहा सुनी होना बताया है हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में आहत् को चोंट होना उल्लेखित है परन्तु स्वयं उक्त संबंध में आहत् द्वारा आरोपी द्वारा घटना कारित करने के संबंध में समर्थन न करने से आरोपी के विरूद्ध उक्त संबंध में कोई विपरीत उपधारणा नहीं की जा सकती। साथ ही शेष आरोप के संबंध में आरोपी के आधिपत्य से बिना किसी अनुज्ञप्ति के तलवार जप्त होने के संबंध में देखा जाये तो उक्त संबंध में जप्ती साक्षी द्वारा समर्थन किया है एवं फरियादी द्वारा भी अपनी साक्ष्य में घटना के संबंध में मौके पर आरोपी के आधिपत्य में तलवार हो के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। अभियुक्त पर आक्षेपित अपराध के सम्बन्ध

में परीक्षित साक्षीगण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके है, ऐसी दशा में मात्र विवेचक की साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त प्रहलादसिंह ने अपने आधिपत्य में विधि द्वारा निषेधित तलवार रखी। यह दाण्डिक विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने हेतु अभिलेख पर ऐसी साक्ष्य होना चाहिये, जो कि प्रत्येक प्रकार के युक्तियुक्त व सम्भाव्य संदेह से परे अभियुक्त पर आरोपित अपराध को साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित करें। हस्तगत प्रकरण में ऐसी प्रकार की साक्ष्य का अभाव है। अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के उपरान्त निष्कर्षित किया जाता है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं कर सका है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत् भमर के साथ काटने के धारदार उपकरण तलवार से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की तथा यह भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि लोक स्थान पर अभियुक्त प्रहलादसिंह ने अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक तलवार रखी।

:: अन्तिम आदेश ::

11— परिणामस्वरूप अभियुक्त प्रहलादसिंह पिता धुलजी मोग्या को आक्षेपित अपराध धारा 324 भा.द.सं. एवं आयुध अधिनियम की धारा 25(1—बी)(बी) के आरोप से **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

12— अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति पत्र एवं बंध—पत्र तत्काल प्रभाव से भारमुक्त किये जाते है।

13— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक तलवार मुल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे आलेख पर टंकित किया।

(नेहा प्रधान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बदनावर, जिला धार

(नेहा प्रधान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बदनावर, जिला धार

NEHA PRADHAN
Digitally signed by NEHA PRADHAN
Date: 2024.11.06 17:35:40 +0400